

पत्र सं०-7/स्थापना व्यय-आवंटन-30/2022-11(7)0

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, नामकुम, राँची।
सिविल सर्जन,
हजारीबाग/पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।

/स्वा०, राँची, दिनांक: 20/04/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय हेतु मांग संख्या-20 स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य 102-खाद्य अपमिश्रण का निवारण 01-खाद्य अपमिश्रण का निवारण के अन्तर्गत कुल ₹ 2,53,85,000/- (दो करोड़ तिरपन लाख पचासी हजार) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के Online आवंटन के विवरणी के अनुसार व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	06-लोक स्वास्थ्य	102-खाद्य अपमिश्रण का निवारण 01-खाद्य अपमिश्रण का निवारण	₹ 2,53,85,000/- (दो करोड़ तिरपन लाख पचासी हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन/अवर सचिव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, नामकुम, राँची होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ०पृ०उ०

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, की होगी।


7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

8. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।


9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

विश्वासभाजन


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-30/2022 11(7) 1 /स्वा0,राँची,दिनांक- 20/04/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-30/2022 11(7) 1 /स्वा0,राँची,दिनांक- 20/04/2026
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, नामकुम, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

कृ०पृ०उ०

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100610201000101	25385000
	कुल आवंटित राशि		25385000

कुल ₹ 2,53,85,000/- (दो करोड़ तिरपन लाख पचासी हजार)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	कुल आवंटित राशि
1	राज्य खाद्य नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची	23391000	23391000
2	सिविल सर्जन कार्यालय, हजारीबाग	652000	652000
3	सिविल सर्जन कार्यालय जमशेदपुर	1342000	1342000
	कुल	25385000	25385000

11(7)B
20/04/2026

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉग सं० - 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 06 - लोक स्वास्थ्य & 102 - खाद्य अपमिश्रण का निवारण & 01 - खाद्य अपमिश्रण का निवारण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	वैतन	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNMED211	Dhiranjan Prasad Sharma	Under Secretary	₹2,33,91,000.00 (4964)	₹2,33,91,000.00
2	Hazaribagh	HZBMED069	Ashok Kumar	C S -Cum-Cmo Hzb	₹6,52,000.00 (4968)	₹6,52,000.00
3	Jamshedpur	JSRMED031	Dr. Sahir Pall	C.S.Cum Cmo-Eastsinghbhum Jsr	₹13,42,000.00 (4971)	₹13,42,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,53,85,000.00 (दो करोड़ तीरण लाख पचयासी हजार) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

11(7)05
20/04/2026

(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY